

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 257/2020 आवंटन निरस्त

- | | | |
|---|------|--|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. नाथू पिता सोराम मीणा निवासी पुरोहितों
का खेडा तहसील बिजौलिया |
|---|------|--|

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 7.12.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम पुरोहितों का खेडा की आ.न. 316 रकबा 1.17 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 09.10.2019 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 14.07.2020 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया।

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी के सम्मन की तामील में विपक्षी की सकुनत गलत होना अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार बिजौलिया ने सही सकुनत पेश नहीं कर विपक्षी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरुद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता है।

तहसीलदार बिजौलिया द्वारा सही सकुनत रिपोर्ट मय सम्मन भी पेश नहीं किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 09.10.2019 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रकरण में एक वर्ष व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार बिजौलिया ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 7.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)

अति
अति
जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा